

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार बीदासर

91/2018

दायरा दिनांक 12.10.2018

पीठासीन अधिकारी
श्री ओमप्रकाश वर्मा
आरटीएस
तहसीलदार बीदासर

सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग बीदासर

प्रार्थी.....

बनाम

खींवसिंह पुत्र विशालसिंह जाति राजपुत नि. शिवपुरी

अप्रार्थी.....

निर्णय

दिनांक 25.01.2019

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण-विभाग बीदासर ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी खींवसिंह पुत्र विशालसिंह जाति राजपुत नि. शिवपुरी ने गैंग हट सा.नि.वि. पो. कातर छोटी की 87.00 वर्गमीटर भूमि पर दूकान का निर्माण कर नाजायज अतिक्रमण कर लिया है। अप्रार्थी को धारा 91 एल आर एक्ट के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी नियत तारीख पेशी 03.01.2019 पर उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया कि मैं अपनी पट्टे शुदा भूमि पर काबिज हूँ। मैंने किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया है चूंकि रिपोर्ट सा.नि.वि. गैंग हट सीमा में अतिक्रमण की है तथा माप किया जाकर रिपोर्ट पेश की है इसलिए अप्रार्थी के जवाब को स्वीकार नहीं किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन करने एवं सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग बीदासर की रिपोर्ट से स्पष्ट साबित है कि अप्रार्थी खींवसिंह पुत्र विशालसिंह जाति राजपुत नि. शिवपुरी ने गैंग हट सा.नि.वि. पो. कातर छोटी की 87.00 वर्गमीटर भूमि पर दूकान का निर्माण कर नाजायज अतिक्रमण कर लिया है। नियमानुसार अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है और सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग बीदासर को आदेशित किया जाता है कि आप अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करें तथा पटवारी हल्का कातर छोटी को आदेशित किया जाता है कि आप अप्रार्थी से शरह पड़ता लगान ग्राम कातर छोटी 00.50 रु प्रति बीघा की दर का 50 गुणा राशि अतिक्रमित भूमि 87.00 वर्ग मीटर की राशि 05/- पांच रूपया वसूल करें तथा तहसील राजस्व लेखाकार मांग कायमी करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से जारी किया गया एवं सरे इजलास सुनाया गया।

उक्त मांग कायमी रा.ले. 4 के पृष्ठ संख्या 10
पर कर ली गई है।

तहसील राजस्व लेखाकार
बीदासर

(ओमप्रकाश वर्मा)
आरटीएस
तहसीलदार बीदासर